

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दिवस

क्रमांक - 199/223

15.11.2024

दिनांक 14.11.2024 को इकजाई

पेशी दिए जाने से पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

( अनिल कुमार )

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमधोपुर (सीकर)



1  
न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी - श्री अनिल कुमार (RAS)

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस   | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---------------|------------|-------------|---------------|
| 199 / 2023    | 2023 / 363 | 06.12.2023  | 15.11.2024    |

### उनवान प्रकरण

सुगनचन्द पुत्र रामकुंवार आयु 40 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढाणी भोपाकी तन ग्राम चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

—वादी—

### बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

—प्रतिवादी—


उपस्थित :-

श्री कानाराम पूनियां, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् उद्घोषणा  
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)




  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

## --:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1267 रकबा 3.93 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 3.93 हैक्टर है। जिसकी 1/100 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम अंकित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1265 रकबा 1.25 हैक्टर तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित है। जिसकी 1/25 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम अंकित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1277 रकबा 3.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 1418 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1419 रकबा 3.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1423 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2046/1425 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2047/1425 रकबा 2.55 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 10.44 हैक्टर तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित है। जिसकी 1/75 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम अंकित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 1409 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2040/1407 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 2041/1407 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2042/1407 रकबा 1.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 2043/1410 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 2044/1410 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2045/1410 रकबा 1.38 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 5.88 हैक्टर तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित है। जिसकी 1/800 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम अंकित है। वादी का नाम जरिये विरासत सुगनचन्द की जगह सहवन व भूलवश नेमीचन्द उक्त वर्णित भूमियों में दर्ज हुआ है। वादी के गलत नाम दर्ज होने से वादी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वादी को वंचित रहना पडता है इस कारण



  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
 श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादी का उक्त मूलत नाम नेमीचन्द के स्थान पर सुगनचन्द दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी के समस्त दस्तावेज यथा पंजाब नेशनल बैंक को बैंक खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र(वोटर आईडी), ड्राइविंग लाइसेंस, ई-श्रम कार्ड, भामाशाह कार्ड सभी सरकारी दस्तावेजों में वादी का नाम सुगनचन्द ही दर्ज है जो कि सही है। वादी ने अपने मूलत नाम दर्ज को सही दर्ज कराने हेतु दिनांक 01.11.2023 को तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर आदि से निवेदन किया तो उन्होंने न्यायालय में वाद दायर कर नाम सही कराने बाबत कहने पर वादी द्वारा यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादपत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जावे के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1267 रकबा 3.93 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 3.93 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1265 रकबा 1.25 हैक्टर तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1277 रकबा 3.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 1418 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1419 रकबा 3.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1423 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2046/1425 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2047/1425 रकबा 2.55 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 10.44 हैक्टर तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित है। जिसकी 1/75 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम अंकित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 1409 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2040/1407 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 2041/1407 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2042/1407 रकबा 1.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 2043/1410 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 2044/1410 रकबा 0.10 हैक्टर खसरा नम्बर 2045/1410 रकबा 1.38 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 5.88 हैक्टर तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 में वादी का नाम नेमीचन्द के स्थान पर सुगनचन्द दर्ज किया जाकर इसी अनुसार जरिये डिक्री राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरुस्ती हेतू भूमिधारी तहसीलदार को आदेश किए जाने का निवेदन वकील वादी ने अपने वादपत्र में किया हैं।



सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। रजिस्टर्ड डाक के तामील करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 24/भूअ./394 दिनांक 21.02.2024 के द्वारा जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का चीपलाटा की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम चीपलाटा पटवार मण्डल चीपलाटा की जमाबंदी संवत् 2074-77 की खसरा संख्या 140 के भूमि खसरा नम्बर 1267 रकबा 3.93 हैक्टर व खाता संख्या 437 के भूमि खसरा नम्बर 1265 रकबा 1.25 हैक्टर व खाता संख्या 90 के भूमि खसरा नम्बर 1277, 1418, 1419, 1420, 1423, 1424, 2046/1425, 2047/1425 किता 8 रकबा 10.44 हैक्टर में प्रार्थी का नाम नेमीचन्द पुत्र रामकुंवार जाति गुर्जर दर्ज रिकार्ड व खाता संख्या 344 के भूमि खसरा नम्बर 1361, 1362, 1409, 2040/1407, 2041/1407, 2042/1407, 2043/1410, 2044/1410, 2045/1410 कुल किता 9 कुल रकबा 5.88 हैक्टर में प्रार्थी का नाम नेमीचन्द पुत्र रामकुंवार जाति गुर्जर दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ई-श्रम कार्ड, जनाधार कार्ड (भामाशाह कार्ड), पैन कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक पास बुक व सरपंच ग्राम पंचायत चीपलाटो द्वारा जारी पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम सुगनचन्द पुत्र रामकुंवार जाति गुर्जर है। मुल दस्तावेजों के आधार पर उक्त खसरा संख्या 140, 437, 344, 90 में नेमीचन्द उर्फ नेमीच पुत्र रामकुंवार जाति गुर्जर के बजाय सुगनचन्द पुत्र रामकुंवार हिस्सा (जमाबंदी अनुसार) जाति गुर्जर दुरुस्त किए जाने की अभिशंषा पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। वकील वादी ने वादी के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में वादी सुगनचन्द पुत्र रामकुंवार का एवं वादी साक्ष्य गवाहान में मंगली देवी पत्नी रामकुंवार के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए। वकील वादी ने वादपत्र में वादी एवं गवाह के मुख्य परीक्षण में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कर दिए जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का विस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।



*[Signature]*  
 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
 श्रीमाधोपुर (नीमकाधाना)

हमने वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077, परिवार राशन कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक की पास बुक की फोटोप्रति, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ई-श्रम कार्ड, मामाशाह कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत चीपलाटा की रिपोर्ट, भू-प्रबंध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, खतौनी चीपलाटा संंवत् 2051-54, 2055-2058, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की पटवारी हल्का चीपलाटा की जाँच रिपोर्ट के आधार पर भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादी व गवाह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 1267 रकबा 3.93 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 3.93 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1265 रकबा 1.25 हैक्टर तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1277 रकबा 3.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 1418 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1419 रकबा 3.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1423 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2046/1425 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2047/1425 रकबा 2.55 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 10.44 हैक्टर तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित है। जिसकी 1/75 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 1409 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2040/1407 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 2041/1407 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2042/1407 रकबा 1.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 2043/1410 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 2044/1410 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2045/1410 रकबा 1.38 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 5.88 हैक्टर तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 की खातेदारी में वादी का नाम सुगनचन्द पुत्र रामकुंवार के स्थान पर सुगनचन्द पुत्र रामकुंवार दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

होता है। जिसकी ताईद वादी के वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य गवाह में प्रस्तुत गवाह के शपथ पत्र से होती है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नेमीचन्द पुत्र रामकुमार के स्थान पर सुगनचन्द उर्फ नेमीचन्द पुत्र रामकुमार शुद्ध किया जाकर दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### —:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एवं दुरुस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि 1267 रकबा 3.93 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1265 रकबा 1.25 हैक्टर तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1277 रकबा 3.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 1418 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1419 रकबा 3.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1423 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2046/1425 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2047/1425 रकबा 2.55 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 10.44 हैक्टर तन ग्राम चीपलाटा पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित है। जिसकी 1/75 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम अंकित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 1409 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2040/1407 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर



*[Signature]*  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

2041/1407 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2042/1407 रकबा 1.89 हैक्टर, खसरा नम्बर  
 2043/1410 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 2044/1410 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर  
 2045/1410 रकबा 1.38 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 5.88 हैक्टर तन ग्राम चीपलाटा  
 त्तार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज0 की  
 जतेदारी में वादी का नाम नेमीचन्द पुत्र रामकुंवार के स्थान पर सुगनचन्द उर्फ नेमीचन्द  
 पुत्र रामकुंवार घोषित किया जाकर दुरुस्त किया जावे एवं उक्तानुसार तहसीलदार  
 श्रीमाधोपुर को दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त  
 किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी  
 हों। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
 (अनिल कुमार)

सहस्रक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
 श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 15.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले  
 न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (अनिल कुमार)

सहस्रक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
 श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

